कार्रवाई | एजेंसी के संचालक गुलाबचंद पारधी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

मोहगांव खुर्द में गैस एजेंसी में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई

नवभारत, बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशों के पालन में जिले में गैस एजेंसियों की जांच अभियान के तहत सोमवार 21 जुलाई 2026 को विकासखंड किरनापुर के ग्राम मोहगांव खुर्द स्थित इंडेन ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी पर जांच की गई। जांच में गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी और अन्य अनियमितताएं मिलने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.के. भलावी के निर्देशन में गठित जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी.एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी किरनापुर शामिल रहे।

जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टॉक में गंभीर अंतर पाया गया। 68 खाली सिलेंडर अधिक तथा 55 भरे सिलेंडर कम मिले। इसी प्रकार 5 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडरों में 29 खाली एवं 34 भरे सिलेंडर कम पाए गए। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडरों में 30 खाली सिलेंडर कम तथा 23 भरे सिलेंडर अधिक मिले। इसके अलावा 5 किलोग्राम के एफटीएल गैस सिलेंडर पांच कम तथा 10 किलोग्राम एक्स्ट्रालाइट के दो खाली सिलेंडर अधिक पाए गए।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एजेंसी संचालक द्वारा राइस मिल परिसर से लगी दुकान के एक कक्ष में गोदाम के अतिरिक्त अनधिकृत स्थान पर 14.2 किलोग्राम के 83 भरे एवं 19 खाली घरेलू गैस सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम के पांच खाली सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।

जांच दल ने प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता, स्टॉक का नियमित संधारण नहीं किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन माना। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने पर मौके पर पंचनामा, जब्ती एवं सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई।

इस संबंध में इंडेन गैस एजेंसी के प्रोपराइटर श्री गुलाबचंद पारधी तथा मौके पर उपस्थित उनके भाई सालिगराम पारधी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई।

राजा भोज प्रतिमा खंडित करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन

नवभारत, परसवाड़ा। नगर संगठन पंवार मंगल भवन, परसवाड़ा में स्थापित सम्राट राजा भोज की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की घटना को लेकर पंवार समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में लिंगा सर्कल के अध्यक्ष टामेश्वर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम एवं तहसीलदार, परसवाड़ा को सौंपा गया। ज्ञापन में दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

इस दौरान पंवार जिला संगठन बालाघाट के जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सम्राट राजा भोज केवल पंवार समाज ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वाभिमान और गौरव के अमर प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा को खंडित करना पूरे समाज की भावनाओं पर सीधा आघात है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि समाज का कानून पर विश्वास बना रहे।

जिला अध्यक्ष विशाल बिसेन एवं लिंगा सर्कल अध्यक्ष टामेश्वर पटेल ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन शीघ्र ही घटना में शामिल असामाजिक तत्वों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, तो पंवार समाज आगामी दिनों में व्यापक एवं उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

ज्ञापन कार्यक्रम में जिला संगठन सचिव डॉ. राजेंद्र कटरे, ब्लॉक अध्यक्ष दीपचंद ठाकरे, जिला अध्यक्ष पंवार समाज युवा प्रकोष्ठ राजा तंपन चौधरी, जिला संगठन ब्लॉक अध्यक्ष उमेश बिसेन परसवाड़ा चांगोटोला सरपंच विनोद ठाकरे, राममंदिर ट्रस्ट सदस्य रामेश्वर कटरे, मुनेश कटरे, चैनलाल क्षीरसागर, सूरजलाल कटरे, मीनेश ऐडे, तुलसीराम बघेल, शंकरलाल बघेल, लोकेश राहंगडाले,, पप्पू नरेंद्र पटेल, आनंदराव बोपचे, टीकम राहंगडाले, सुधीर पटले, सर्कल सचिव चंद्रशेखर कटरे, योगेश शरणागत, शिवदयाल ऐडे, पीतमलाल बोपचे सहित समाज के अनेक वरिष्ठजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर समाज की मातृशक्तियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिन्होंने एक स्वर में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए समाज की एकजुटता का परिचय दिया। इसके साथ ही समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु भी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में समाजजनों ने स्पष्ट कहा कि सम्राट राजा भोज के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषियों की गिरफ्तारी तक समाज का संघर्ष जारी रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।

एक नजर में

राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफल तीन अभ्यर्थियों को मिली 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

बालाघाट। राज्य शासन की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के तीन अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की स्वीकृति के बाद यह राशि संबंधित अभ्यर्थियों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर ने बताया कि किरनापुर तहसील के ग्राम चिखला की निवासी शिवानी बांगरे, वारासिवनी तहसील के ग्राम वारा की रचना बोरकर तथा गटापायली निवासी करूणा गजभिये ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि शासन की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

7 अगस्त को होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता

बालाघाट। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, डी.ई.टी.सी. एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एमपी टूरिज्म क्विज-2026 का आयोजन किया जा रहा है। 'बूझो जानो, फिर देखो अपना प्रदेश' थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश की पर्यटन, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों से परिचित कराना तथा उनमें प्रदेश के प्रति गौरव और पर्यटन के प्रति रुचि विकसित करना है। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। प्रतियोगिता दो चरणों में संपन्न होगी, जिसमें प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिखित परीक्षा तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मल्टीमीडिया क्विज का आयोजन किया जाएगा।प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय से तीन विद्यार्थियों की एक टीम प्रतियोगिता में शामिल होगी।

फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

नवभारत, बालाघाट। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी धान की फसल का बीमा कराने की अपील की गई है। उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि इस वर्ष अल नीनो के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए समय पर फसल बीमा कराना किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

श्री मालवीय ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, जलभराव तथा कीट एवं रोग प्रकोप से फसल को होने वाली क्षति पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखना तथा खेती में आने वाले जोखिम को कम करना है।

योजना के अनुसार सिंचित धान (पैडी-आईआर) के लिए प्रति हेक्टेयर 48,300 रुपये की बीमित राशि निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को केवल 966 रुपये प्रति हेक्टेयर (2 प्रतिशत) प्रीमियम देना होगा। वहीं वर्षा आधारित धान (पैडी-आरएफ) के लिए प्रति हेक्टेयर 38,000 रुपये की बीमित राशि पर किसानों को मात्र 760 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

उप संचालक श्री मालवीय ने बताया कि ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक अथवा पैक्स के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।

जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए वीशू मतेल का चयन

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट हॉकी संघ व नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के हॉकी खिलाड़ी वीशू मतेल का जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए चयन किया गया है। ये जिले के हॉकी खिलाडियों व खेल प्रेमी दर्शकों के लिए गौरव की बात है। इस संबंध में बालाघाट हॉकी संघ के अध्यक्ष किरणभाई त्रिवेदी ने बताया कि हॉकी मध्यप्रदेश 16 वीं हॉकी इण्डिया जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2026 प्रदेश से 18 खिलाडियों का चयन किया गया है। इसमें जिले के बालाघाट हॉकी संघ के खिलाड़ी वीशू मतेल का चयन किया गया है। उक्त प्रतियोगिता 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कोयम्बटूर तमिलनाडू में आयोजित की जा रही है। इसके लिए 23 जुलाई से चयनित खिलाडियों के लिए भोपाल में कोचिंग कैम्प लगाया जा रहा है। इसमें खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

बालाघाट हॉकी संघ के खिलाड़ी वीशु मतेल का जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के लिए चयन होने पर हॉकी संघ के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, रमेश रंगलानी, सचिव विजय वर्मा, उपाध्यक्ष साक्षी लिल्हारे, अभय सेठिया, ऋषभदास वैद्य, पूरनसिंह भाटिया, सुशील वर्मा, जिला खेल अधिकारी राहुल बारेसा, मकरंद अंधारे, तुषार मानकर, प्रमोद तिवारी, राधेलाल दौने, राजकुमार शांडिल्य, राजेश सेवईवार, रमेश उके, गोपाल धुर्वे, सत्यम वर्मा, आकाश लिल्हारे, सत्यम बरडे, जावेद खान सहित अन्य ने हर्ष व्यक्त कर बधाई देते हुए सफलता की कामना की है।

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार

नवभारत, बैहर। पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैहर के मार्गदर्शन में थाना रूपझर पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायालय बैहर के प्रकरण क्रमांक 873/2016, धारा 9, 49, 51 एवं 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आरोपी भृतु पिता जंगलू मरकाम (उम्र 48 वर्ष), निवासी ग्राम नारंगी, थाना रूपझर के विरुद्ध दिनांक 05 अगस्त 2025 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

दिनांक 21 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर ग्राम लागमा एवं नारंगी में दबिश दी। पहचान की पुष्टि होने के बाद आरोपी को विधिवत गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को देकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस सफल कार्रवाई में प्रधान आरक्षक 982 संतोष मरकाम, आरक्षक 1458 अवन सिंह उइके, आरक्षक 168 शिवराज उइके, आरक्षक 221 अभिषेक कोठी, आरक्षक 1100 कृष्णकुमार यादव, आरक्षक 96 जितेन्द्र मराठे तथा एसएएफ बल के अर्जुन मरावी एवं सुरेश मरावी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सीए बलजीत सिंह छाबड़ा को पीएचडी की उपाधि प्राप्त

नवभारत, बालाघाट। नगर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बलजीत सिंह छाबड़ा को बिजनेस मैनेजमेंट एवं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की गई है। यह उपलब्धि उनके वर्षों के परिश्रम, समर्पण एवं शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है।

सीए बलजीत सिंह छाबड़ा लंबे समय से वित्त, कराधान, सामाजिक सेवा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी इस शैक्षणिक उपलब्धि से परिवार, मित्रों एवं समाज में हर्ष एवं गर्व का वातावरण है।

इस अवसर पर डॉ. बलजीत सिंह छाबड़ा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए अपने पूजनीय पिताजी श्री कुलदीप सिंह छाबड़ा के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके संस्कार, आशीर्वाद एवं जीवन मूल्यों ने उन्हें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

साथ ही, उन्होंने अपनी आदरणीय माताजी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके स्नेह, त्याग, आशीर्वाद एवं निरंतर प्रोत्साहन ने उन्हें जीवन के प्रत्येक चरण में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि माता-पिता का आशीर्वाद ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अमृत छाबड़ा का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने हर कदम पर उनका उत्साहवर्धन किया और कठिन समय में भी उनका पूर्ण सहयोग किया, जिसके बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी

बालाघाट की बेटी निकिता जैतवार का पीएससी 2023 में चयन, बनीं सहकारिता विस्तार अधिकारी

नवभारत, वारासिवनी। जिला बालाघाट, ब्लॉक वारासिवनी के ग्राम बोदलकसा की होनहार बेटी निकिता जैतवार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित होकर अपने गाँव, परिवार और संपूर्ण जिले का नाम रोशन किया है।

निकिता के पिता श्री सेक्सी जैतवार एवं माता श्रीमती बीना जैतवार हैं। निकिता ने अपनी इस स्वर्णिम सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और विशेष रूप से अपनी मौसी श्रीमती ममता चौहान को दिया है, जिन्होंने उनकी पढ़ाई और तैयारी के हर पड़ाव पर एक मजबूत संबल व मार्गदर्शक बनकर निरंतर उनका पूर्ण सहयोग किया। निकिता की इस उपलब्धि से ग्राम बोदलकसा और वारासिवनी क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। परिजनों, रिश्तेदारों एवं समस्त क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आपके पार्सल में ड्रग्स मिली है, आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर आ रहे है

ओएफके से सेवानिवृत्त कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा ऐंठी रकम

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत नरसिंहपुर नगर निवासी एक ओएफके से रिटायर्ड कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार हो गए। दरअसल ठग ने फोन कर कहा कि आपके पार्सल में आपत्ति जनक ड्रग्स मिली है आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठग ने रकम ऐंठ ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम राजकुमार त्यागी 81 वर्ष निवासी काली मंदिर के पीछे नरसिंह नगर रांझी ने लिखित शिकायत की कि वह ओएफके खमरिया से सेवा निवृत्त है। जब वह घर पर अकेला था तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल नम्बर पर कॉल कर कहा आपके पार्सल में आपत्ति जनक ड्रग्स मिली है आपने नाम से खमरिया थाना में शिकायत हो गयी है आपको गिरफ्तार करने इंस्पेक्टर राणा आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के डर से वे घर के किरायेदार प्रवीण सिंह को बुलाकर अपने मोबाइल से उसने गूगल पे के माध्यम से अलग अलग ट्रांजेक्शन क्रमश: 12220 रूपये, 4499 रूपये, 24800 रूपये, 8600 रूपये, 18000 रूपये उसके मोबाइल नम्बर भिजवाता गया।

पीटने की आवाजें सुन घबरा गए, पैसा खत्म तब जागी चेतना

पीड़ित के मुताबिक फोन में बातचीत के दौरान पीछे से किसी अन्य को मारने पीटने की आवाज आ रही थी जिससे वह घबरा गया और जैसे जैसे वो कहते गये वह वैसा करते गया। उसका दिमाग उस समय पर बिल्कल किसी बात को समझाने या तर्क करने की स्थिति में नहीं था। दोपहर लगभग 2 बजे के बाद जब पैसे खत्म हुये तो पीड़ित की कुछ चेतना जागी और यह कहकर फोन काट दिया कि जिस बच्चे से रकम डलवा रहा था वह चला गया कुछ देर बाद करूंगा। वह घर से बाहर निकल अपने पड़ोसी से चर्चा किया जिसने जानकारी दी कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उसकी पूरी पेंशन व अन्य जमा पूंजी निकाल ली गयी थी।

निरीक्षण | कार्य एंजेसी को मिनि ओलपिंक की तर्ज पर पूल मे आधुनिक सुविधा मुहैया कराने के दिये निर्देश

जिले के प्रथम स्विमिंग पूल निर्माण कार्य का पूर्व मंत्री जायसवाल ने किया निरिक्षण

नवभारत, वारासिवनी। नगर पालिका परिषद द्वारा निर्माणाधीन जिले के प्रथम स्विमिंग पूल का आज पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने निरिक्षण किया। इस दौरान उन्होने मिनी ओलपिंक की तर्ज पर होने वाले इस कार्य के संबध मे निर्देश देते हुये कहा की स्विमिंग पूल मे सुरक्षा, स्वच्छता और बच्चो के तैराकी सिखने जैसी बुनियादी व आधुनिक सुविधाये मिलनी चाहिये।

नपा की महत्वाकांक्षी योजना स्विमिंग पूल निर्माण मे कार्य की गति का आंकलन किया गया। इस दौरान कार्यएंजेसी के प्रमुख सुनील बंटी पारधी, बाबी परिहार, अनिश मिश्रा आदि साथ भी रहे। स्थल पर ही पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पूछे जाने पर बताया की 97 लाख रूपये की लागत से 13 मीटर बाय 25 मीटर के इस स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य सतत निगरानी मे कराया जा रहा है। वर्तमान मे लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी इस पूल मे क्षमता अनुसार साढे तीन लाख लीटर पानी भरकर इसके लिकेज व डेमेज को चेक किया जा चुका है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत सामने नही आयी है। इस पूल का निर्माण कार्य भोपाल के विषय विशेषज्ञो के मार्गदर्शन मे कराया जा रहा है।

इसी दौरान सुनील बंटी पारधी ने जानकारी देते हुये बताया की पूल के निचले हिस्से मे क्वालिटी वाली मोजेक टाईल्स लगवायी जा रही है। पूल मे चेजिंग रूम सहित अन्य सुविधाये उपलब्ध रहेगी। आज निरिक्षण के दौरान गुडडा भैया ने आसपास के हिस्से को भी डेवलेप करके सौदर्यीक्रत करने के निर्देश प्रदान किये है। साथ ही वाटर गेम और शावर जैसी आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही है।

कार्य एंजेसी की ओर से बाबी परिहार ने पूछे जाने पर बताया की इस पूल मे बच्चो को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस पूल मे अंडर वाटर रोशनीयुक्त लाईट के अलावा बाहर की नाली मे बेहद मजबूत हाईवर ग्रिल और बाहर से फाईबर सीट से पूल को कवर्ड भी किया जा रहा है। सबसे पहले पूल के पानी को बाहर कर अब बेहद क्वालिटी वाली मोजेक टाईल्स को लगाया जा रहा है। इस पूल की यह भी विशेषता है की पूल के शुरूवाती हिस्से सात मीटर को प्लने व बाकी के 18 मीटर के हिस्से मे स्लोब नजर आयेगा।

अधिकारों पर वर्षों की चुप्पी, फिर अदालत से राहत की उम्मी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि न्याय केवल अधिकार का नहीं, बल्कि समय पर अधिकार के प्रयोग का भी पक्षधर है। यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक अपने अधिकार के लिए मौन रहता है और बाद में दूसरे कर्मचारियों को मिली राहत देखकर अदालत पहुंचता है, तो उसे समान लाभ नहीं मिल सकता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे दावेदार को फेंस सिटर मानते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विशाल धागत की एकलपीठ ने संभव मनु अयाची की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से वरिष्ठता का लाभ चाहता है, लेकिन उसने लगभग एक दशक तक अपने अधिकार के लिए कोई प्रभावी कानूनी कदम नहीं उठाया। केवल वर्ष 2023 में दिया गया अभ्यावेदन भी नया कारण-ए-दावा नहीं बन सकता। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को समान लाभ देने का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लंबे समय तक निष्क्रिय बने रहें और दूसरों की सफलता के बाद राहत मांगने पहुंचें।

पहाड़ी में घेराबंदी, बमबाज गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा पुलिस ने बजरंग नगर पहाडी में घेराबंदी कर एक बमबाज को गिरफ्ततार किया है जिसके कब्जे से दो सुअरमार बम जप्त किए गए। टीआई प्रसन्न कुमार शर्मा ने बताया कि बजरंग नगर पहाडी में घेराबंदी कर अतुल साहू पिता राजकुमार साहू 19 वर्ष निवासी अन्ना मोहल्ला शारदा चौक गढा को दबोचा। जिसके हाथ में रखी पालीथीन को चैक करने पर 2 नग सुअरमार बम रखे मिलें, आरोपी अतुल साहू के कब्जे से 2 सुअरमार बम जप्त करते हुये आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

कार्यालय जनपद पंचायत विकासखंड परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

निविदा

जनपद पंचायत परसवाड़ा अन्तर्गत ग्राम परसवाड़ा मे साप्ताहिक बैठकी बाजार मे खसरा न. 238/9 रकबा 1.011 मे से न्यायालय कलेक्टर महोदय बालाघाट म.प्र. के रा.प्र.क्र./11/अ/-20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश अनुसार 0.038 हे. भूमि एवं ग्राम परसवाड़ा बस स्टैंड के खसरा न 208 रकबा 0.1980 हे. मे से न्यायालय कलेक्टर महोदय बालाघाट म.प्र. के रा.प्र. क्र./0015/अ/-20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 04 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश अनुसार 0.038 हे. भूमि शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु जनपद पंचायत परसवाड़ा जिला बालाघाट के नाम से खसरा के कालम न. 12 मे आरक्षित की गई है। खसरा न 238/9 मे आरक्षित भूमि पर शॉपिंग काम्प्लेक्स का कार्य पूर्ण हो चूका है तथा खसरा न 208 मे शॉपिंग काम्प्लेक्स भूतल मे 18 दुकानों का निर्माण हो चुका है जिसमे से 14 दुकाने आवंटित हो चूकि है शेष 04 दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जनपद पंचायत परसवाड़ा की सामान्य प्रशासन समिति के प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 18.02.2026 प्रस्ताव पारित किया गया है कि उपरोक्त खसरा न 238/9 एवं 208 मे जनपद पंचायत के नाम आरक्षित भूमि, एवं निर्मित शॉपिंग काम्प्लेक्स के नीलामी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे स्थगन प्राप्त किये जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये केविएट दायर किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है अत: माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे केविएट दायर की जा रही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत परसवाडा